श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती की तैयारी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई' 2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थिति अनुलग्नक–1 के अनुसार रही।

2. माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बैठक प्रारंभ की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक की तैयारियों के संबंध में एक प्रस्तुति की गयी।

3. **प्रस्तुति के दौरान हुई परिचर्चा के आलोक में निम्नवत अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया :–**

3.1 (क) रेलवे द्वारा पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर द्वारा रेलवे की तैयारियों से अवगत कराया गया। प्रस्तुति के क्रम में यह जानकारी दी गयी कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए राशि की माँग हेतु परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। यह भी जानकारी दी गयी कि पटना घाट रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, पार्किंग आदि की सुविधाएं विकसित की जा रही है। इस हेतु भी निधि की अपेक्षा राज्य सरकार से है।

(ख) इस पर विस्तार से चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि रेलवे द्वारा नागरिक सुविधाओं से संबंधित विकसित की जा रही बुनियादी ढाँचा की लागत रेलवे द्वारा वहन की जाय। इस हेतु रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

(ग) इस बात पर भी बल दिया गया कि पटना घाट रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाय ताकि इस अवसर पर किये जा रहे विकास कार्यों का दूरगामी लाभ मिल सके।

(घ) बैठक में दोहराया गया कि पटना घाट रेलवे स्टेशन के सामने Double lane रोड का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार निधि राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

(ड़) रेलवे द्वारा पटना घाट रेलवे स्टेशन के पास 32,000 वर्गमीटर भूमि अस्थायी उपयोग हेतु गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को लीज पर दी जा सकती है। इसकी जानकारी प्रबंधन समिति को दी गयी और अपेक्षा की गयी कि वे तत्काल इस पर निर्णय लेकर रेलवे के साथ समन्वय कर लें।

(च) यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से रेलवे से समन्वय के बिन्दु पर पुनः एक पत्र माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार को भेजा जाय।

3.2 (क) दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज एवं पोस्ट ऑफिस परिसर की खाली जमीन के उपयोग हेतु रोड चौड़ीकरण करने के बिन्दु पर प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा हुआ है।

(ख) पथ निर्माण विभाग, जिला पदाधिकारी पटना के साथ समन्वय करके, पथ चौड़ीकरण कार्य को विधिवत तरीके से कार्यान्वित करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

(ग) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को भी एक पत्र पुनः भेजा जाय। जिला पदाधिकारी, पटना ले–आउट प्लान बनाकर, खाली जमीन के पथ के चौड़ीकरण हेतु उपयोग का प्रस्ताव तैयार करके, स्थानीय पदाधिकारियों से सहमति ले लें।

3.3 इस क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के प्रयोजन से पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग एवं नगर निगम के स्वामित्व वाले लगभग 30 पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में एन०एच०–30 से आवागमन सुगम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं मंजूर की गयी है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। साथ ही साथ पटना रेलवे स्टेशन के पास राज्य निधि से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन इरकॉन द्वारा किया जा रहा है।

3.3.1 विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग इन सभी कार्यों की सामयिक एवं प्रभावी समीक्षा करके ससमय पूर्णता

हेतु कदम उठाएं। विशेषकर इरकॉन द्वारा किये जा रहे रेलवे ओवरब्रिज कार्य की सघन समीक्षा पर जोर दिया गया।

3.3.2 इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को और सुगम बनाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा किये गये क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जो अतिरिक्त पथांस चिन्हित किये गये हैं, उसकी मंजूरी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदान की जाय।

3.4 **Tent-city की व्यवस्था** :–

(क) गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा 26 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। आयुक्त पटना प्रमंडल, गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के साथ संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्थल भ्रमण करके, भौतिक रूप से जमीन गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को उपलब्ध करावें। यदि अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाय। विधिवत तरीके से जमीन चिन्हित करके 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जाय ताकि गुरूद्वारा प्रबंधन समिति, अग्रेत्तर विकास योजना बना सकें। जमीन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराना आयुक्त, पटना प्रमंडल/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल की जिम्मेदारी होगी।

(ख) गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को यह स्पष्ट बताया गया कि Tent-city का निर्माण एवं उसमें सभी प्रकार की नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था गुरूद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी। यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें यह बताया गया कि वे 15 अगस्त तक अपनी कार्य योजना बनाकर आयुक्त, पटना प्रमंडल को उपलब्ध करा दें।

(ग) Tent-city में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एवं सिवरेज की व्यवस्था संबंधित प्राधिकारों द्वारा स्थापित नियमों के आलोक में की जाएगी। चूँकि प्रस्तावित स्थल जलमग्न हो जाता है, अतः दिसम्बर 2016 के पहले कार्य पूर्ण करने के लिए मात्र 40 दिन का समय मिलेगा, इसलिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/पटना नगर निगम, गुरूद्वारा प्रबंधन संमिति के

साथ समन्वय करके अग्रिम तैयारी कर लें। आगामी समीक्षा बैठक में इस पर गहराई से चर्चा करके स्पष्टता हो जानी चाहिए।

3.5 <u>स्वास्थ्य व्यवस्था</u> :–

गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल को आधुनिक सुविधायुक्त 200 बेड अस्पताल के तौर पर उत्क्रमित करने की योजना में तेजी लायी जाय। साथ ही साथ Tent-city में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के लिए अग्रिम योजना बनायी जाय। इस बात पर जोर दिया गया कि गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल तक का पहुँच पथ सुगम हो।

3.6 <u>विधि व्यवस्था</u> :–

(क) विधि व्यवस्था, सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण हेतु गृह विभाग के स्तर से प्रभावी कार्रवाई की जानी है। इस हेतु CC Tv. यथोचित संख्या में लगाया जाय। भीड़ नियंत्रण योजना बनाकर, आवश्यक संरचनात्मक विकास अग्रिम तौर पर कर लिया जाय।

(ख) चौक थाने का निर्माण कार्य जिस स्थान पर चल रहा है, उसे तत्काल पूर्ण कर लिया जाय।

(ग) जिला पदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना अग्रिम योजना बना लें ताकि सुगमतापूर्वक आयोजन संपन्न हो सके।

3.7 पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, कार्य योजना में निर्धारित गतिविधियों को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

3.8 मुख्य सचिव के स्तर पर माह अगस्त के तीसरे सप्ताह में पुनः समीक्षा बैठक की जाय। उसके पहले गुरूद्वारा प्रबंधन समिति अपनी स्पष्ट कार्य योजना समर्पित कर दें। साथ ही साथ सभी संबंधित विभाग भी अपनी स्पष्ट कार्य योजना समर्पित कर दें।

3.9 इस बात पर बल दिया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज का 350वाँ प्रकाशोत्सव धूमधाम एवं उत्कृष्ट व्यवस्था के बीच आयोजित किया जाय। इस हेतु गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नियमानुसार समुचित सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7.8.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापंक 4080 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/8/15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

7.8.15
प्रधान सचिव

ज्ञापंक 4080 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/8/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

7.8.15
प्रधान सचिव

ज्ञापंक 4080 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/8/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, गृह विभाग/सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मुख्य डाकपाल, पटना जी०पी०ओ०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, BSNL, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रधान निदेशक, इंटेक/महासचिव, तख्य श्री हरमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.15
प्रधान सचिव

ज्ञापंक 4080 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/8/15

प्रतिलिपि :– संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.8.15
प्रधान सचिव